

**VIOLATION LETTER**

E-MAIL / REGD A.D



भारत सरकार Government of India  
खान मंत्रालय Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines  
100, ओल्डनेहरु कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun  
(U.K.)248001  
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - [ro.dehradun@ibm.gov.in](mailto:ro.dehradun@ibm.gov.in)



फाईल संख्या : E-3139- MCDR-MiFLOLST/12/2022-DDN-  
IBM\_RO\_DDN

38HPR10011

दिनांक : 28 .03.2024

सेवा में To : मैसर्स माम चन्द गोयल एंड संस  
99/3-3, गंगा बिहार , हरिद्वार रोड  
देहरादून (उत्तराखंड)

E-mail: goyalsunil63@gmail.com

विषय Sub: हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले की पांवटा साहिब तहसील में निकट बनौर गांव में स्थित आपकी बनौर  
चूनापत्थर खान (4.958 हेक्टेयर क्षेत्र) के संबंध में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधान का  
उल्लंघन।

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरक्षण दिनांक 07.02.2024 को श्री आर. सी. मालिक, खान प्रबंधक की उपस्थिति में श्री मुकेश कुमार  
शर्मा, सहायक खनन अभियंता, द्वारा किया गया एवं निरक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली-2017 के निम्न  
प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

<b>RULE NO.</b>	<b>NATURE OF VIOLATION OBSERVED</b>
11(1)	Mining operation were not carried out in accordance with the Review and Updation of mining plan with PMCP vide letter no 614(2)/MPB-285/08- DDN dated 25.01.2019 to the following extent: (i) As per proposals during year 2023-24, the height of benches in limestone was proposed 5 meter but during the inspection it was observed that the height of the benches are 7-8 m. (ii) As per proposals during year 2023-24, it was proposed to erect wire fencing 70 mtr but erection of wire fencing was not carried out as per proposal.
45(7)	In the submitted Annual return 2022-23, discrepancy is found as follows: The holder of a mining lease has submitted incomplete or wrong information in Annual Returns Ex mine Price is not correct in annual return of year 2022-23.

- 1) इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) व 33 का उल्लंघन नियम 62(1) एमसीडीआर नियम, 2017 के तहत दंडनीय अपराध हैं, 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) के तहत दंडनीय है ।
- 2) इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- 3) आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं ।

भवदीय Yours faithfully,

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र 0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र 0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

